

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 28/2021

तारीख रजू 05.04.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

.....प्रार्थी

बनाम

मन्ना पुत्र परसराम जाति कोली निवासी बह० खुर्द तह० खण्डार

.....अप्रार्थी

उपस्थित - प्रार्थी - पेराकार राजस्व

अप्रार्थीगण- श्री राधेश्याम वैष्णव एड०

निर्णय

दिनांक 24/6/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1999 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी मन्ना पुत्र परसराम जाति कोली निवासी बह० खुर्द तह० खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी-3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द में आदेश दिनांक 28.06.1999 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा रकबा 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त बहरावण्डा खुर्द व पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री राधेश्याम वैष्णव एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी-3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द की भू- निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13/6/2021 की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवंटी का अनवरत कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा पुनःश्च तर्क किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया कि खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2074-76 के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।


अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2053 से सम्वत 2076 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द व खसरा नम्बर 1321/1044 की कब्जा रिपोर्ट कुल 12 किता दस्तावेज पेश किये जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात का हवाला देते हुये तर्क दिया कि उनके पक्षकार का आवंटितशुदा रकबे पर आवंटन से आज दिनांक तक कब्जा काशत है तथा उक्त खसरा नम्बरान की खसरा गिरदारवरी में स्पष्ट रूप से फसल काशत किया जाना अंकित किया गया है। पुनः अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेरोकार सरकार के कथन की अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है का खण्डन करते हुये तर्क दिया गया कि कब्जा रिपोर्ट दिनांक 08-07-1999 के अनुसार उनके पक्षकार गोपाल को आवंटितशुदा रकबा का कब्जा संभलाया गया था तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी भूमि पर काबिज है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी मन्ना पुत्र परसराम जाति कोली निवासी बह0 खुर्द तह0 खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी-3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द में आदेश दिनांक 28.06.1999 को आवंटन किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक बहरावण्डा खुर्द एवं पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर-खातेदार अप्रार्थी मन्ना पुत्र परसराम जाति कोली निवासी बह0 खुर्द तह0 खण्डार का आराजी खसरा नम्बर 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी-3 पर मौके पर कब्जा काशत नहीं होना अंकित किया गया है लेकिन खसरा गिरदावरी सम्वत 2053 से सम्वत 2076 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त आवंटित शुदा भूमि लगातार काशत की जा रही है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काशत नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने संबधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल - बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति में भिजवाये गये हैं। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण तहसीलदार खण्डार को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बहरावण्डा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 1321/1044 रकबा 1.00 बीघा की स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 25/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर